संक्षिप्त

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कैलाश नाथ को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

एसआई मोटर व्हीकल भर्ती में नियुक्ति देने पर लगी रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई मोटर व्हीकल भर्ती-2021 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त देने पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को छूट दी है कि वह चाहे तो भर्ती का परिणाम जारी कर सकता है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मनीष कुमार व अन्य की याचिका पर दिए।

प्रशिक्षण शिविर शुरू

निवाई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय टोंक एवं स्थानीय संघ निवाई द्वारा रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर एवं जिला स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय पांच दिवसीय शिविर का शुभारम्भ शिविर संचालक के. मोतीलाल महीचा, ईश्वरसिंह नेहरा व हरिशंकर शर्मा ने ध्वजारोहण कर किया।

लखन प्रजापत की संदिग्ध आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच की मांग

किशनगढ़ बास, (निसं)। किशनगढ़ बास पुलिस थाना की कार्रवाई से असंतुष्ट 22 गांव के करीब दो दर्जन प्रजापत समाज के लोग रविवार को पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव से मिले।

प्रजापत समाज के लोगों ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई सवाल उठाते हुए शिकायत की है। पूर्व विधायक ने प्रजापत समाज के लोगों की शिकायत पर डीएसपी से फोन पर वार्ता की और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई के लिए कहा है। प्रजापत समाज के लोगों ने डीएसपी को भी इस मामले में लिखित में शिकायत सौंपी है।

- पुलिस की कार्यशैली से असंतुष्ट प्रजापत समाज के लोग पूर्व विधायक से मिले

22 गांव के करीब दो दर्जन प्रजापत समाज के लोग पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव से मिले।

प्रजापत समाज के लोगों ने पूर्व विधायक रामहेत यादव को बताया है कि पिछले दिनों किशनगढ़बास के चाकरवाटी मौहल्ला निवासी करणसिंह पुत्र लखन प्रजापत 24 फरवरी 2022 को घर से लापता हो गया था। जिसे लेकर किशनगढ़बास थाना में परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लेकिन थानाधिकारी की ओर से आजतक कोई कार्यवाही नही गई। 26 फरवरी को करणसिंह के पास रेवाडी थानाधिकारी का फोन आया था कि उसके पुत्र ने रेवाडी के सागर होटल में आत्महत्या कर ली है। जिसमें पुलिस को सुसाईड नोट मिला था जिसमें लिखा था कि मे अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। इसके बाद 27 फरवरी को रेवाडी में पोस्टमार्टम हुआ जिसकी रिपोर्ट आज तक परिजनों को नहीं मिली है।

रविवार को पूर्व विधायक यादव से मिलने पहुंचे 22 गांवों के प्रजापत समाज के लगभग 2 दर्जन मुख्य लोगों ने समाज अध्यक्ष प्रकाश प्रजापत के साथ बताया करण सिंह का लडका लखन प्रजापत आत्महत्या नहीं कर सकता वह अपनी पढाई कर रहा था। पुलिस ने उसका मोबाईल जब्त किया है जिसकी कॉल डिटेल व खाते की जांच और उसके दोस्तों से भी पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की एवं आत्महत्या बताकर मामले को रफा-दफा करना चाहती है।

पूर्व विधायक ने प्रजापत समाज के लोगों के सामने डीएसपी से फोन पर युवक लखन प्रजापत प्रकरण में बात की और शीघ्र जांच पूरी कर कार्रवाई के लिए कहा। प्रजापत समाज के लोगों ने डीएसपी से मुलाकात कर कार्यवाही आगे बढाने एवं निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है।

मुलाकात के दौरान समाज के चंदराज प्रजापत, बाबूलाल, मदनलाल, भीमाराम, रोहताश कुमार, अध्यापक रमेशचंद, डॉ. राजेश कुमार, सुनील कुमार, रामफल, पप्पूराम, चंदरराम, मामराज, हरनारायण आदि बोलनी, मोठूका, देवता, बम्बोरा, बगथला, मांचा, बासकृपालनगर, खानपुर मेवान, किशनगढबास, बासकृपालनगर, मूसाखेडा, बाघोर आदि गांवो के प्रजापता समाज के लोग मौजूद थे।

गुलाबी शहर का वैभव बरकरार रखने के प्रयास करें : मुख्य सचिव

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने गुलाबी शहर जयपुर के वैभव को बरकरार रखने एवं आमजन को सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, आवारा मवेशियों को सड़कों और मुख्य रास्तों से हटाने, ट्रैफिक व्यवस्था, निगम क्षेत्र (हेरिटेज एवं ग्रेटर) में संचालित डेयरियों को शिफ्ट करने, पार्किंग व्यवस्था और आम रास्तों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

शर्मा सोमवार को शासन सचिवालय में उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (हाई पॉवर कमेटी) की 19वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जयपुर शहर की पार्किंग को ऐसे विकसित करें कि वह अन्य शहरों के लिए एक मॉडल बनकर उभरे। इसके लिए जयपुर शहर में सार्वजनिक पार्किंग का सर्वे करें जिससे आवश्यकता अनुसार शहर में पेड पार्किंग की व्यवस्था की जा सके। बैठक में शहर के मुख्य मार्गों पर संचालित बीआरटीएस कॉरिडोर की उपयोगिता, निर्माणाधीन एलिवेटेड सड़कों-फ्लाईओवर, घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे से बिजली बनाने के प्लांट, कॉलोनियों में आम रास्तों पर अवैध गेट को हटाने समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव जोगाराम, परिवहन विभाग के आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

विराटनगर विधानसभा क्षेत्र को कई बड़ी सौगातें

पावटा, (निसं)। राजस्थान विधानसभा में बजट के दौरान विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक इंद्राज गुर्जर की अनुसंशा व मांग पर विराटनगर के युवाओं को बड़ी सौग़ात देते हुए विराटनगर महाविद्यालय को पीजी में क्रमोन्नत व विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने, गोविंदपुरा धाभाई में पीएचसी खोलने, भाबरू व प्रागपुरा थाना सीआई थाने में क्रमोन्नत की घोषणा की सूचना मिलते ही क्षेत्र में लोगों ने मुंह मीठा करा कर एक दूसरे को बधाई दी।

विराटनगर महाविद्यालय को पीजी में क्रमोन्नत व विज्ञान व वाणिज्य संकाय खुलने से विराटनगर ही नहीं अपितु आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। लंबे समय से विराटनगर महाविद्यालय को पीजी में क्रमोन्नत व विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने की मांग की जा रही थी। विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन हेतु बाहर नहीं जाना पडेगा और विराटनगर में ही उनको विज्ञान व वाणिज्य संकाय की शिक्षा मिल सकेगी।

विधायक इंद्राज गुर्जर ने विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर प्रयास किए उसी का परिणाम है कि आज बजट में कई बडी सौगातें मिली। विधायक इंद्राज गुर्जर ने बताया कि इस घोषणा से यहां के होनहार युवा पढाई करके अपना सुनहरा भविष्य बनाएंगे। देश-प्रदेश में क्षेत्र का नाम रौशन करेंगे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात होगा, अभी विज्ञान व वाणिज्य की पढाई के लिए युवाओं को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। मौका नहीं मिल पाने के कारण युवा अपना भविष्य नहीं संवार पाते थे और ना ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाते थे। अब प्रतिभा प्रदर्शन का भरपूर मौका युवाओं को मिलेगा। वहीं, ग्रामीण परिवेश के युवाओं को सम्बंधित रोजगार के अवसर पैदा होंगे। युवाओं की मांग व आवश्यकताओं को देखते हुए मांग की। घोषणा होने पर युवाओं में खुशी की लहर छा गई।

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

No.:F-2(01)Acct/Contract/2021/560-562 Date: 21-03-2022

अल्पकालिन ई-निविदा सूचना संख्या: 91/2021-22

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यों मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यों की कुल लागत	:	रूपये 74.95 लाख (1 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	:	22-03-2022 को प्रात: 10.00 बजे से 28-03-2022 को सांय :6.00 बजे तक
Online EMD,Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	:	22-03-2022 को प्रात: 10.00 बजे से 28-03-2022 को सांय : 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	:	29-03-2022 को प्रात: 11.00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN : ITU2122WSOB00661

(नीरज माथुर) अधिशाषी अभियन्ता - तृतीय, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

राजस्थान सरपंच संघ की मांगों के समर्थन में डॉ. पूनिया ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान सरपंच संघ से प्राप्त ज्ञापन 17 मार्च के क्रम में पत्र लिखकर सरपंच संघ की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है।

डॉ. पूनिया ने गहलोत को पत्र में लिखा कि, "सरपंच संघ की विभिन्न मांगों पर राज्य सरकार से वार्ता होने के उपरान्त भी आदेश प्रसारित नहीं किये जाने से प्रदेश के समस्त सरपंचों में व्याप्त निराशा एवं आक्रोश तथा मांगों की पूर्ति हेतु किये जाने वाले आंदोलन" के संबंध में मुझे प्राप्त हुआ है।

जनवरी, 2021 से राजस्थान सरपंच संघ के साथ बार-बार लिखित समझौते एवं वार्ताएं होने के बावजूद भी सरपंच संघ की मांगों पर कोई भी आदेश प्रसारित नहीं किया गया, जिसके कारण सरपंच संघ में घोर निराशा, आक्रोश व्याप्त है एवं राजस्थान के सरपंच संघ ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये आंदोलन करने का निर्णय लिया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान से पहले भी राज्य सरकार व अधिकारियों के साथ लिखित में समझौता होने के बावजूद भी किसी तरह के सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आये हैं।

सरपंच संघ की प्रमुख मांगों में ग्राम पंचायतों के विकास के लिये राज्य वित्त आयोग और पन्द्रहवें वित्त आयोग की बकाया राशि जारी करने, पंचायतों में मानदेयकर्मियों के भुगतान के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने, सरपंचों का मानदेय बढ़ाने एवं कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात अंतिम मानदेय की 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में देने, प्रधानमंत्री आवास योजना में हटाये गये नाम पुन: जुडवाने इत्याद सहित अन्य मांगें सम्मिलित हैं।

भवानी सहाय शर्मा की जयंती पर हुए अनेक कार्यक्रम

राजगढ़। सेनानी पंडित भवानी सहाय शर्मा की जयंती पर सोमवार को उत्तर एवं उल्लास के साथ अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए।

जयंती समारोह के संयोजक दिनेश प्रधान ने बताया कि इस मौके पर प्रात: नौ बजे सेनानी पंडित भवानी सहाय शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर महंत प्रकाश दास महाराज ने कहां की यह महान सेनानी राजगढ़ ही नहीं उन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है। इस मौके पर उनके बताए मार्ग पर चलने का आव्हान किया। भाजपा नेता बन्नाराम मीणा, देश बंधु जोशी व प्रभु दयाल शर्मा ने अपने विचार रखे।

इससे पूर्व सभी आगंतुकों ने पंडित भवानी सहाय शर्मा की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर राजेश शर्मा ठेकेदार खेम सिंह आर्य,प्रहलादराय सैनी,राहुल दीक्षित प्रदीप शर्मा,मोहन बोहरा, सुखराम मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

'व्यंग्य अन्याय और असामाजिक तत्वों से लड़ने की शक्ति देता है'

जयपुर, (कासं)। वरिष्ठ व्यंग्यकार-कवि एवं मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी, फारूक आफरीदी ने कहा है कि व्यंग्य अन्याय और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। डॉ. लालित्य ललित की व्यंग्य रचनाएं सामाजिक विसंगतियों और विद्रूपताओं पर प्रहार ही नहीं करती बल्कि समाज को संस्कारित एवं परिष्कृत करती हैं।

आफरीदी ने प्रतिष्ठित व्यंग्यकार एवं कवि और नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक, डॉ. लालित्य ललित के 29वें व्यंग्य संग्रहह "पाण्डेय जी की अजब गजब दुनिया" का उज्जैन के प्रेस क्लब में लोकार्पण अवसर पर सारस्वत अतिथि के रूप में यह बात कही। व्यंग्ययात्रा के संपादक डॉ. प्रेमजनमेजय, वरिष्ठ व्यंग्यकार फारूक आफरीदी, विक्रम विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग के पूर्व अध्यक्ष, डॉ. हरि मोहन बुधौलिया, वर्तमान अध्यक्ष, डॉ. शैलेन्द्र शर्मा, भाषाविद् डॉ. राजेशकुमार, डॉ. उर्मि शर्मा,

डॉ. लालित्य ललित के 29वें व्यंग्य संग्रह का लोकार्पण सोमवार को किया गया।

रणविजय राव, रमेश खत्री, हरीशकुमार सिंह, देवेन्द्र जोशी ने संग्रह का लोकार्पण किया। इसका आयोजन मध्यप्रदेश लेखक संघ, उज्जैन के तत्वावधान में किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि व्यंग्य यात्रा के संपादक डॉ. प्रेम जनमेजय ने कहा कि कबीर सबसे बडे व्यंग्यकार थे। कबीर के आधे गुण भी आज हमारे भीतर नहीं हैं। ललित आज के समय के सच को सामने लाते हैं। व्यंग्यकार को शिव की भांति गरल पीना पड़ता है।

विक्रम विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र शर्मा ने देश में व्यंग्य की वर्तमान स्थिति और डॉ. ललित के व्यंग्य कर्म पर पत्रवाचन किया और सामाजिक सरोकारों के प्रति व्यंग्यकार के दायित्व को रेखांकित किया।

कार्यालय गाम पंचायत बेहरोज पंचायत समिति मुण्डावर (अलवर) राज.

क्रमांक-SPL-05 **अल्पकालीन निविदा सूचना सं. 2020-21** दिनांक-15/03/2021

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न कार्यों हेतु पंचायती राज विभाग/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर निगम एवं राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत उपयुक्त श्रेणी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कमेटी को होगा। यदि कारणवश उसी दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी। अमानत राशि ड्राफ्ट/नगद स्वीकार होगी। उक्त निविदा sppp पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र विक्रय दिनांक	निविदा प्रपत्र जमा कराने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक	अनु. राशि (लाखों में)	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा फार्म राशि
1	सिंगल फेस बोरिंग व टंकी निर्माण कार्य माता के मंदिर के पास बेहरोज	25.3.2022 12PM	25.3.2022 2PM	25.3.2022 3PM	6.00 लाख	12000	200

उक्त कार्यों के दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाईबिलटी पीरियड) का उत्तरादायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात नियमानुसार रहेगा, अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

सरपंच ग्राम पंचायत बेहरोज पं. सं. मुण्डावर (अलवर) — NIB NO.: ZAL2122A1030 UBN NO.: ZAL2122GSLB02079 — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बेहरोज पं. सं. मुण्डावर (अलवर)

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक- नपाश्रीमा./2021-22/5242-43 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-21.03.2022

श्री अमीरचन्द नारंग हपुत्र श्री मोहनलाल नारंग जाति पंजाबी निवासी वार्ड नं. 17 सुराणी बाजार श्रीमाधोपुर, जिला-सीकर (राज.) ने नीचे वर्णित भूमि मे अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्ठा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं. 17 सुराणी बाजार	चर्तु सीमाऐं निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में गली छोडकर केवलराम खुराना का मकान, पश्चिम दिशा में शामिलाती गली छोडकर बनवारीलाल सैनी का गोदाम व मूलचन्द की दुकान, उत्तर दिशा में हरूलाल खुराना का मकान व दक्षिण दिशा में मैन रोड सुराणी बाजार अवस्थित है।	भूखण्ड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 18.1 फुट व उत्तर से दक्षिण 40.7 फुट कुल क्षेत्रफल 81.52 वर्गगज या 68.18 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्ठा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 21.03.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस पर वृक्षारोपण किया

श्रीमाधोपुर, (निसं)। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस मनाया गया। वनस्पति शास्त्र के व्याख्याता रमेश कुमार ने बताया कि महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र के छात्र-छात्राओं एवं एनसीसी कैडेट्स के द्वारा महाविद्यालय के खेल मैदान में अमरूद, चीकू, आम, गुलाब व छायादार सहित कुल ग्यारह पेड लगाकर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया।

महाविद्यालय निदेशक मोहर सिंह खर्रा ने बताया कि पेड-पौधे ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मुख्य स्त्रोत हैं। ऑक्सीजन की कमी मानव जीवन के लिए खतरा है तो इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य लोगों को पेड पौधों के महत्व से अवगत करवाना है। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. वी. के. सैनी ने बताया कि वनों को बचाए रखने के लिए साल 1971 में यूरोपीय कृषि संगठन की 23वीं आम बैठक में 21 मार्च को हर साल विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भी वनों के महत्व के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व वन्य दिवस मनाने पर अपनी सहमति दी थी, तब से ही 21 मार्च को यह दिन मनाने की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर उपप्राचार्य विजेंद्र कुमार, विज्ञान संकाय प्रभारी वीरेंद्र यादव, वाणिज्य संकाय प्रभारी मनीष अग्रवाल, व्याख्याता सुशीला देवी, प्रदीप ओझा, तारा कुमावत, हर्षिता सैनी, आनंद बबेरवाल, वसीम अली, रवि कुमार, योगेंद्र श्रीवास्तव,राकेश शर्मा, कमलेश यादव,गोविंद कुमावत, कैलाश कुमार सहित समस्त स्टाफ उपस्थित था।

पांच ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची बनाने की छूट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा जिले की किशोरपुरा और खेडली तंवरान, बारां जिले की मेरमाचाह व बरवा और करौली जिले की गोठड़ा ग्राम पंचायत में मतदाता सूची तैयार करने का काम चालू रखने को कहा है। वहीं अदालत ने कहा है कि इस सूची के आधार पर चुनाव नहीं कराए जाए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश पांचों ग्राम पंचायतों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक

चौरु /उनियारा, (निसं)। नियारा कृषि मंडी में किसानों की सरसों की जिंस तुलाई सहित अन्य मामलों को लेकर व्यापारियों के चल रही खींचतान के समाधान हेतु सोमवार को उनियारा उपखंड अधिकारी रजनी के निर्देश पर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान नेताओं तथा व्यापारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया।

आयोजित बैठक में किसानों की जिंस तुलाई, फसल की राशि वहीं पर दिलवाने सहित अन्य मामलों पर विस्तार रुप से चर्चा की गई। इस दौरान किसान नेता मदन कुमावत ने किसानों की फसल मंडी में तुलवाने,नगद राशि का वहीं भुगतना करने,जिंस बोली के समय व्यापारियों के उपस्थित रहने, भेदभाव नहीं करने सहित कई मुद्दों को बैठक के दौरान उठाएं। वहीं मंडी सचिव प्यारेलाल यादव ने संबंधित किसानों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मंडी सचिव प्यारेलाल यादव, थानाधिकारी राधाकिशन मीणा, किसान नेता मदन कुमावत,व्यापारी राकेश बढ़ाया, दिनेश पाटोदी सहित किसान तथा व्यापारी उपस्थित थे।

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक- नपाश्रीमा./2021-22/5248-49 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-21.03.2022

(1) श्रीमती कविता पत्नी श्री अशोक कुमार सैनी (2) श्रीमती अनिता पत्नी स्व. श्री विजय कुमार सैनी (3) श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री सुनील कुमार सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 21 सुराणी बाजार श्रीमाधोपुर, जिला-सीकर (राज.) ने नीचे वर्णित भूमि मे अपने अधिकार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्ठा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं. 21 सुराणी बाजार	चर्तु सीमाऐं निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में रामावतार खुटेटा की दुकान, पश्चिम दिशा में रामजीलाल बजाज की दुकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता सुराणी बाजार व दक्षिण दिशा में स्वर्गीय रामलाल पंजाबी का मकान अवस्थित है।	दुकान व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप बरामदा पूर्व से पश्चिम 12.8 फुट व उत्तर से दक्षिण 6.2 फुट व दुकान की नाप पूर्व से पश्चिम 15.9 फुट व उत्तर से दक्षिण 27.4 फुट कुल क्षेत्रफल 56.49 वर्गगज या 47.22 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्ठा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 21.03.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

विरासत के संरक्षण, सांस्कृतिक जागरूकता के लिए समन्वित प्रयास जरूरी : राज्यपाल

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए स्मारकों को सूचीबद्ध करने का कार्य प्रभावी रूप में किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रस्ताव तैयार करने के साथ-साथ स्मारकों के संरक्षण और रख-रखाव की साझा दीर्घकालीन नीति पर भी कार्य किया जाए।

राज्यपाल मिश्र 'राजस्थान की समृद्ध विरासत का संरक्षण' विषय पर सोमवार को राजभवन में आयोजित बैठक में सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान राज्यपाल ने जैसलमेर किले के संरक्षण और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए वहां अतिक्रमण की समस्या के प्रभावी समाधान पर बल दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाने के सुझाव की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा करने से महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के प्रति आमजन का जुड़ाव और बढ़ेगा।

राज्यपाल ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर के प्रति चेतना से ही कोई समाज और राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रह सकता है। इस दृष्टि से बाड़मेर में किराडू मंदिर, उदयपुर के पास जगत मंदिर, भानगढ़,

राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक ले कर 'राजस्थान की समृद्ध विरासत का संरक्षण' विषय पर चर्चा की।

- राजभवन में राजस्थान की समृद्ध विरासत का संरक्षण विषयक बैठक आयोजित
- 'यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में स्मारकों को जुड़वाने के लिए हो कार्य'

अलवर में टहला के पास नीलकण्ठ मंदिर, बिजोलिया के मंदिर, बूंदी में केशवरायपाटन, झालावाड़ की बौद्ध गुफाएं, टोंक स्थित बीसलपुर का शिव मंदिर जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरूण विजय ने कहा कि भारत की विरासत को विदेश से वापस लाने और देश में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रणकपुर, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों, पुष्कर ब्रह्मा मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मिलकर प्रस्ताव तैयार करने चाहिए। उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर स्थल के विकास और वहां लाइट एण्ड साउण्ड शो शुरू किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने जैसलमेर किले सहित विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन के स्तर पर प्रभावी कार्य किए जाने का आव्हान भी किया।

बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्द राम जायसवाल, पर्यटन विभाग के निदेशक निशान्त जैन, संयुक्त सचिव कला एवं संस्कृति पंकज ओझा, पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर मंडल के अधीक्षक डॉ. प्रवीण सिंह और जोधपुर मंडल अधीक्षक बीरी सिंह सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं राज्य के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

स्कूल व्याख्याता भर्ती में वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति देने पर लगाई रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और इतिहास सहित अन्य विषयों के पदों पर वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश नितिन कुमार जैन व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विवादित उत्तरों के मामले में याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में याचिका दायर की थी। मामले में हाईकोर्ट ने गत वर्ष 5 अप्रैल को आदेश जारी कर आरपीएससी को विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा गया कि आयोग ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के बिना ही नियुक्तियां देना शुरू कर दिया है। वहीं अब वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे में यदि कमेटी ने उत्तरों के विकल्प बदल दिए तो फिर से संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। इसलिए आयोग को निर्देश दिए जाए कि वह अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, फुलेरा जिला जयपुर

क्रमांक- न.पा.फु./स्टोर शाखा/2021-22/3842-3841 दिनांक- 21.03.2022

नीलामी सूचना - 31/2021-22

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है निम्नलिखित ठेके/कार्य वर्ष 2022-23 के लिये उनके सामने अंकित दिनांक व समय को निलामी बोली आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पंजिकृत ठेकेदार/पंजिकृत संस्था निश्चित तिथि को नीलामी बोली से पूर्व निर्धारित निविदा शुल्क जमा करवा कर बोली फार्म प्राप्त कर सकता है। निलामी शतेर्क कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर पालिका कार्यालय में देखी जा सकती है।। किसी नीलामी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित होगा। उक्त बोली सूचना राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in/ पर भी देखी जा सकती है।

क्र. सं.	नाम नीलामी	ठेका निलामी बोली दिनांक	अमानता जमा करने का समय	अमानता राशि	बोली शुल्क	समय	अवधि
	पालिका क्षेत्र में हाथ ठेला, फुटपाथ पर बैठने वाले एवं चलते फिरते रेहडी से कर संग्रहण के ठेके हेतु निलामी बोली।	29.3.2022	11.30 एएम से 12.30 पीएम	70000/-	200/-	12.35 पीएम से 1.45 पीएम	1.4.2022 से 31.3.2023

शर्ते-

1 बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर पालिका फुलेरा के पास सुरक्षित रहेगा।
2 बोली संबंधी शर्ते किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देखी जा सकती है।
3 सशर्त बोली मान्य नहीं होगी।
4 राजकीय अवकाश होने पर स्वतः ही आगामी कार्य दिवस में निविदा मान्य होगी।
5 निविदा शुल्क एवं अमानता राशि निर्धारित समय पर नगद/डी.डी. के द्वारा जमा की जा सकती है।
6 यदि नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी, व उनके पति/पत्नि) कार्य से सम्बन्धित कार्यालय में पालिका अधिकारी/कर्मचारी का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसे कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबंध रहेगा एवं इस हेतु नोटेरी प्रमाणित मूल 50 रूपये के शपथ पत्र स्टाम्प पर देना होगा।
7 संवेदक द्वारा किसी भी विभाग में ब्लेक लिस्टेड नहीं होने के सम्बन्धि में नोटेरी प्रमाणित मूल 50 रूपये शपथ-पत्र स्टाम्प पर देना होगा।

(नगेन्द्र)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका फुलेरा